डीजी परिपत्र सं0 - 26 /2025

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: जुलाई २५, 2025

विषयः- सिविल मामलों को आपराधिक स्वरूप देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-8592/2024 में की गयी टिप्पणी के आलोक में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

प्रिय महोदय/महोदया,

सिविल / व्यवसायिक प्रकृति के मामलों को आपराधिक स्वरूप देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने की बढ़ती हुयी प्रवृत्ति को देखते हुये इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने तथा दं.प्र.सं की धारा-173(2) / BNSS की धारा-193(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली पुलिस रिपोर्ट में महत्पूर्ण विन्दुओं का विवेचक द्वारा अनिवार्य रूप से उल्लेख करने हेतु दिशा-निर्देश पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये हैं, किन्तु कमिश्नरेट / जनपद स्तर पर इन निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन नहीं किये जाने के कतिपय प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

पत्र संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-517/2013 दि0 08.08.23
डीजी-परिपत्र सं0 – 13/2025 दि0 15.04.2025
डीजी-परिपत्र सं0 – 30/2024 दि0 03.07.2024
डीजी-परिपत्र सं0 – 34/2024 दि0 07.07.2024
डीजी-परिपत्र सं0 – 15/2024 दि0 02.04.2024
डीजी-परिपत्र सं0 – 28/2023 दि0 10.08.2023
डीजी-परिपत्र सं0 – 26/2022 दि0 09.09.2022
डीजी-परिपत्र सं0 – 59/2016 दि0 20.10.2016

2- विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-8592/2024 रिखव बिरानी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सम्बन्धित मु.अ.सं. 78/2023 धारा-420/406/354/504/506 भादवि, थाना-हरवंश मोहाल, कमिश्नरेट कानपुर नगर में पारित आदेश दिनांकित 16.04.2025 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रकृति के मामलों में उ0प्र0 पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचनोपरान्त आरोपपत्र प्रस्तुत करने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निम्नवत टिप्पणी की गयी है—

> The chargesheet in the present case is bereft of particulars and details required and mandated in terms of Section 173(2) of the Cr.P.C. It merely reproduces the contents of the FIR which makes reference to the payments made as well as the allegation that in the revenue records, the godown in question was recorded in the name of Rakesh Birani, the son of the appellant, Rikhab Birani. It is noted that the appellant, Rikhab Birani, informed the complainant that Rakesh Birani had expired. The complainant had then requested refund of money, etc. However, the FIR does not state the material and evidence available and collected during the course of the investigation to establish the offences under Sections 420, 406, 354, 504 and 506 of the IPC. Clearly, the ingredients of the aforesaid are not established and made out.

.....2

We are also constrained to impose costs of ₹50,000/- (Rupees fifty thousand only) on the State of Uttar Pradesh as, in spite of repeated judgments/orders of this Court, we are being flooded with cases of civil wrongs being made the subject matter of criminal proceedings by filing chargesheets, etc.

3- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही पूर्व में भी एक अन्य प्रकरण विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-3620/2025 देबू सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सम्बन्धित मु.अ.सं. 153/2024 धारा- 406, 506, 120B भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्ध नगर में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.04.2025 में सिविल प्रकृति के मामलों में बिना किसी साक्ष्य के आरोपपत्र प्रस्तुत किये जाने पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया था।

4- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही टिप्पणियों से स्पष्ट है कि सिविल मामलों को आपराधिक स्वरूप देते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तथा ऐसे प्रकरणों में विवेचकों द्वारा भी विना पर्याप्त साक्ष्य संकलित किये सरसरी तौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को ही अंकित करते हुये आरोपपत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में सिविल मामलों को आपराधिक स्वरूप देने तथा बिना पर्याप्त साक्ष्य के आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु उपाय सुझाने के लिये गठित की गयी तीन सदस्यीय समिति द्वारा अपनी संस्तुतियाँ दिनांकित 25.06.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** प्रस्तुत की गयी है, जिसमे सिविल मामलों को आपराधिक स्वरूप देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने तथा विवेचकों द्वारा बिना पर्याप्त साक्ष्य संकलित किये सरसरी तौर पर बिना कोई विवरण अंकित किये आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से उत्पन्न हो रही समस्या के निदान हेतु एक प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत है:-

i. *ऐसे प्रकरण जो विशुद्ध रूप से प्रथम दृष्टया सिविल प्रकृति के परिलक्षित हो रहे हों तथा इस बात की भी सम्भावना हो कि वे आपराधिक प्रकृक्ति के भी हो सकते हैं तो ऐसे प्रकरण में जनपदीय पुलिस प्रभारी यथा पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाए और जांचोपरान्त अपराध के आवश्यक तत्व का भी साक्ष्य पाये जाने पर जनपदीय पुलिस प्रभारी के अनुमोदन से ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाए। उक्त जांच यथासम्भव 14 दिवस के भीतर पूर्ण कर ली जाए।*

ii. *कोई विवाद विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का है और आपराधिक विवाद का आवरण दिया गया है, सिविल उपचार उपलब्ध है और वास्तव में अपनाया गया है ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए।*

iii. *ऐसे प्रकरण जिनमें इस बात का सन्देह हो कि मामले की प्रकृति आपराधिक है या सिविल है तथा आवेदन में शरीर संबंधी अपराध (भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-16/भारतीय न्याय संहिता के अध्याय-05 व 06 के अधीन 03 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 07 वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय अपराध अन्तर्वलित है) के साथ साथ सम्पत्ति संबंधी या दस्तावेजों से*

संबंधी अपराध (भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-17 व 18 / भारतीय न्याय संहिता 17/18) भी अन्तर्वलित है। ऐसे प्रकरणों में अपराध की प्रकृति निर्धारित करने हेतु पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पूर्वानुमोदन से निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा जाँच अधिकतम 14 दिवस के भीतर पूर्ण करते हुए प्राप्त आख्या के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने के संबंध में निर्णय लिया जाए। इस प्रक्रिया का सम्यक् पर्यवेक्षण जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा किया जाए।

iv. *ऐसे आवेदन जिसमें शरीर संबंधी अपराध (07 वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय अपराध) के साथ-साथ सम्पत्ति संबंधी अपराध के तथ्य मौजूद हो तो उन प्रकरणों में समस्त आच्छादित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही की जाए। सिविल तथा आपराधिक प्रवृत्ति के मिश्रित आरोप होने पर दर्ज प्राथमिकी की अपराध की धाराओं के आवश्यक तत्त्वों की गहराई से समीक्षोपरान्त अपराध के जिस धारा के आवश्यक तत्व पाये जाए उन्हीं के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रेषित की जानी चाहिए। आरोप पत्र के सभी कालम स्पष्ट और पूर्ण रूप से अनिवार्यतः भरे जाए जिससे यह पता चल सके कि किस अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया तथा मामला किन साक्ष्यों पर आधारित है।*

v. *प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के उपरान्त संबंधित विवेचक सम्बन्धित प्रकरण के तथ्यों के अनुरूप विवेचना के दौरान मौखिक साक्ष्यों के साथ-साथ दस्तावेजी / इलेक्ट्रॉनिक /वैज्ञानिक / तकनीकी साक्ष्य भारतीय साक्ष्य विधि के प्रावधानों के अनुरूप संकलित करने के उपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत क्रिमिनल अपील संख्याः 1485/2008 गुजरात राज्य बनाम किशन भाई आदि के मामलें में पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्याः 1909/छः-9-2015-31(36)/2014 दिनांक 05.08.2015 तथा उक्त के अनुक्रम में निर्गत उ0प्र0 पुलिस महानिदेशक परिपत्र संख्याः 06/2018 दिनांकः 19.02.2018 के अनुपालन में समस्त केस डायरी व प्रपत्र अभियोजन कार्यालय पर्यवेक्षणीय अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे, जहाँ से प्राप्त विधिक अभिमत के अनुक्रम में यदि कोई अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक हो तो उसे संकलित करने के उपरान्त उक्त शासनादेशों के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।*

5- इस मुख्यालय स्तर पर विचारोपरान्त तीन सदस्यीय समिति द्वारा सुझाये गये उपायों एवं निर्धारित की गयी प्रक्रिया को व्यवहारिक एवं उपयोगी पाया गया है, अतः समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के आधार पर निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते हैं—

- प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व यदि यह संशय हो कि सिविल मामलो को आपराधिक स्वरूप देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी जा रही है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से तीन वर्ष से सात वर्ष तक की सजा का अपराध सृजित हो रहा हो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व प्रारम्भिक जॉच करा ली जाए।
- रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-68/2008 ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 12.11.2013 के प्रस्तर-111 (xi) में पाँच

प्रकृति के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पूर्व प्रारम्भिक जाँच कराने का विकल्प निम्नवत दिया गया है—

> (vi) As to what type and in which cases preliminary inquiry is to be conducted will depend on the facts and circumstances of each case. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under:
> a) Matrimonial disputes/ family disputes
> b) Commercial offences
> c) Medical negligence cases
> d) Corruption cases
> e) Cases where there is abnormal delay/laches in initiating criminal prosecution, for example, over 3 months delay in reporting the matter without satisfactorily explaining the reasons for delay. The aforesaid are only illustrations and not exhaustive of all conditions which may warrant preliminary inquiry.

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंगित उपरोक्त पाँच प्रकृति के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक जाँच करायी जा सकती है।

- यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से सात वर्ष से अधिक सजा का अपराध सृजित हो रहा हो, जिसमें विधिक रूप से प्रारम्भिक जॉच कराये जाने का विकल्प उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करते हुए अपराध की धाराओं के आवश्यक तत्वों की गहराई से समीक्षा करते हुए विवेचना की जाए।
- विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय विवेचक तथा पर्यवेक्षण अधिकारी विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों तथा अपराध की धाराओं के आवश्यक तत्वों की सूक्ष्मता से समीक्षा करे। **संकलित साक्ष्य से अपराध के जिस धारा के आवश्यक तत्व पाये जाए उन्हीं के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया जाए।**
- आरोप पत्र में सभी कॉलम स्पष्ट, पूर्णरूप से अवश्य भरे जाए तथा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि किस अभियुक्त द्वारा **किस धारा का अपराध कारित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में विवेचना से उस अभियुक्त विशेष के विरुद्ध क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।**
- विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-1485/2008 गुजरात राज्य बनाम किशन भाई आदि के मामले मे पारित आदेश तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या- संख्या: 1909/छः-9-2015-31(36)/2014 दिनांक 05.08.2015 तथा डीजी परिपत्र संख्या-06/2018 दिनांकित 19.02.2018 के अनुपालन में महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रकरणों में पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से आवश्यकतानुसार केस डायरी एवं अभिलेख **जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन को प्रेषित करते हुए विधिक अभिमत प्राप्त किया जाएगा तथा अभियोजन की ओर से प्राप्त विधिक अभिमत के आलोक में अग्रिम साक्ष्य संकलन के उपरान्त ही आरोपपत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जाएगा।**

.....5

6- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षक अधिकारियों को अवगत करा दें कि वे विवेचना में अपने विधिक दायित्वों तथा विवेचना से सम्बन्धित विधिक प्राविधानों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आरोपपत्र में समस्त प्रविष्टियों को स्पष्ट रूप से पूर्ण करने के पश्चात ही आरोपपत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित करें। यदि भविष्य में इन निर्देशों का पालन न करने का कोई दृष्टान्त प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित विवेचनाधिकारियों / पर्यवेक्षण अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

भवदीय,

(संजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।